पत्रांक सं० 3278
फाइल नं० 18 ल०नि०
दिनांक 6-8-18

:--आदेश:--

जनपद अल्मोडा मे विकास खण्ड द्वाराहाट, के अन्तर्गत द्वाराहाट सुरईखेत मोटर मार्ग मे बयला–नाड मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.417 हैक्टयर वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल–8.834 हैक्टेयर श्रेणी 9(3) ग (गोचर पशुचर) भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सबंध मे शासनादेश संख्या–1332/XVIII(II)/2014-18(59)/2013, दिनांक 07 जुलाई,2014 के प्राविधानों के आधार पर उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु 9(3) ग (गोचर पशुचर) भूमि उपलब्ध कराये जाने के सबंध मे उप जिलाधिकारी द्वाराहाट की संस्तुति के साथ प्राप्त तहसीलदार द्वाराहाट, के पत्रांक 148/र.का.क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2014–15 दिनांक 25.05.2018 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत के पत्रांक संख्या–1378/27री, दिनांक 22–06–2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवत अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दिनांक 13.12.2017 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट, चयनित की गई भूमि की खतौनी, व खसरा एव चयनित भूमि का मौका नक्शा एव निर्धारित प्रारूप–2, तथा तहसीलदार/उप जिला अधिकारी, द्वाराहाट, की आख्या सहित वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड देहरादून, के पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/112/2015/एफ0सी0/747, दिनांक: 07.09. 2017 के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु ग्राम–फल्द्वाडी, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र–फल्द्वाडी, तहसील–द्वाराहाट के गै0ज0 वि0ख0खा0संख्या–145 की श्रेणी–9(3)ग "गोचर पशुचर" भूमि के पैमायसी खेत नम्बर 1, 19, 21, 51, 67, 241, 243, 296, 322, 325, 347, 4212,–मध्य, 4244 व 4246 कुल अर्थात कुल 14 खेत नम्बरानों की कुल 8.834 हैक्टेयर 9(3) ग (गोचर पशुचर) भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। तद्नुसार ही क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार द्वाराहाट उक्तानुसार ही राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोडा, वन प्रभाग, अल्मोडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होगी।

वनभूमि सहायक

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी,
अल्मोडा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या 5342/ग्यारह–19(8)/2017–18, दिनांक: 30 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि:निम्नाकिंतों को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा, वन प्रभाग, अल्मोडा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा।
3– उप जिला अधिकारी, द्वाराहाट।
4– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत।
5– तहसीलदार, द्वाराहाट को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा

True copy

Assistant Engineer
Const. Division P.W.D.
Ranikhet